भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2382
उत्तर देने की तारीख 18.12.2023

झारखण्ड में सेवा भोज योजना से लाभान्वित लोग

2382. श्री बिद्युत बरन महतो :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड राज्य में सेवा भोज योजना से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;
(ख) क्या यह सच है कि भारत में धर्मार्थ संस्थाओं के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए शुरू की गई सेवा भोज योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति का दावा करने में विलंब हो रहा है;
(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा सेवा भोज योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति का दावा सहज बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(जी. किशन रेड्डी)

(क) : सेवा भोज योजना की स्कीम के अंतर्गत, धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं जैसे कि गुरुद्वारों, मंदिरों, धार्मिक आश्रम, मस्जिदों, दरगाहों, गिरजाघरों, मठों, बौद्ध मठों आदि को जनता/श्रद्धालुओं को नि:शुल्क भोजन वितरित करने के लिए (प्रति माह कम से कम 5000 लोगों को) विशिष्ट कच्ची खाद्य सामग्रियों यथा (i) घी (ii) खाद्य तेल (iii) चीनी/बूरा/गुड़ (iv) चावल (v) आटा/मैदा/रवा/सूजी और (vi) दलहन की खरीद पर भुगतान किए गए सीजीएसटी और केन्द्र सरकार की आईजीएसटी की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहायता की प्रतिपूर्ति की जाती है। झारखंड राज्य से किसी भी संगठन को इस स्कीम के अंतर्गत पात्र नहीं पाया गया है।

(ख) और (ग): सरकार का निरन्तर यह प्रयास रहा है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की चयनित लाभार्थी संस्थाओं से अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने पर और इस स्कीम के लिए किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार, इन संस्थाओं को समय पर वित्तीय सहायता का

संवितरण सुनिश्चित किया जाए। सेवा भोज योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति का दावा सहज बनाने में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:-

(i) नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण के उपरांत, धर्मार्थ/धार्मिक संस्थान संस्कृति मंत्रालय के सीएसएमएस पोर्टल में नामांकन करते हैं और अपना आवेदन जमा करते हैं।

(ii) संस्कृति मंत्रालय के साथ नामांकन के उपरांत, आवेदक संस्थान संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति के साथ अपने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नोडल केंद्रीय कर अधिकारी को अपना आवेदन जमा करते हैं।

(iii) आवेदन और पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर नोडल केंद्रीय कर अधिकारी द्वारा एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) जारी की जाती है।

(iv) इसके बाद, संबंधित जीएसटी प्राधिकरण पात्र धर्मार्थ/धार्मिक संस्थानों के संबंध में केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) की केंद्र सरकार की हिस्सेदारी के उनके द्वारा सत्यापित और पारित दावों को मंत्रालय के पास भेजता है ताकि उन्हें जारी किया जा सके।

(v) मंत्रालय संबंधित जीएसटी प्राधिकरण को धनराशि प्रदान करता है जो आगे इन धर्मार्थ/धार्मिक संस्थानों को इस धनराशि की प्रतिपूर्ति करता है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

****